कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1383/11सी– **FP/UP/Road/20685/2016**, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 03/,2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद–कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग के किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में 17.626 है0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/06/108/2016/एफ0सी0/443 दिनांक–09.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। आपके कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में इंगित कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर, प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी ने अपने पत्रांक–191टी0सी0/5–8, दिनांक 31.12.2016 द्वारा निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को प्रेषित किया है। उक्त पत्र की छायाप्रति सहित, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए, संशोधित प्रस्ताव की एक मूल प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें। विषयांकित प्रस्ताव आगामी होने वाली आर0ई0सी0 की 16 वीं बैठक दिनांक 05.01.2017 में स्वीकृति हेतु सम्मिलित किया गया है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,
3.1.17
(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– /11–सी– **FP/UP/Road/20685/2016**, दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशेष सचिव, वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2, उ0प्र0, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक, इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी।
4. अधिषाशी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ACY- 873